न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी जिला–पाली (राज0)

पिठासीन अधिकारी–रवि कांत सिंह (**R.A.S.**)

राजस्व विविध मुकदमा संख्या–17/2021

तारीख फैसला–08/03/2022

प्रार्थी :–

धर्मवीरसिंह पुत्र अमरसिंहजी, जाति– राजपूत, निवासी– ईटन्दरा मेडतियान, तहसील– रानी, जिला– पाली (राज0)

–: विरूद्ध :–

अप्रार्थी :–

2– तहसीलदार, रानी भूमिधारी राज्य सरकार।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा– 251–क(1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति–

श्री राजेन्द्र गौतम वकील प्रार्थी की ओर से।

सरकारी पैरोकार अप्रार्थी की ओर से।

–: निर्णय :– दिनांक–08/03/2022

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना–पत्र विरूद्ध अप्रार्थी के राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा– 251–क की उपधारा–(1) के अधीन भूमि गत पाईपलाईन बिछाने की अनुज्ञा के लिये इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया, जिसके संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि– प्रार्थी की खातेदारी ग्राम ईटन्दरा मेडतियान व ग्राम ओडवाडीया, तहसील– रानी मे विद्यमान है, जो दोनो गांव की सीमा लगती हुई है। ग्राम ईटन्दरा मेडतियान के ख0नं0– 186/11 है, जिसमे बेरा भी विद्यमान है और पानी भी विद्यमान है। पास मे गैर मुमकिन रास्ता जिसके ख. नं. 217 व 307 है, जो नक्शा मार्क ए से बी है एवं खसरा नं. 163 जो गोचर भूमि है। जिसमे से नक्शा मार्क– बी से सी है। प्रार्थी अपनी खातेदारी जो ग्राम ओडवाडिया, तहसील– रानी मे स्थित है, जिसके ख0नं0– 23, 23/3 व 23/4 है। जो रकबा– 4.38 हैक्टर है, जिसमे प्रार्थी अपने बेरा जो ख.नं. 186/11 मे विद्यमान है वहां से नक्श मार्क ए से बी से सी जो गैरमुककिन रास्ता व गोचर है, नियमानुसार नीचे पाईप लाईन बिछाकर अपनी खातेदारी मे सिंचाई के लिए प्रस्तुत किया गया एवं प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेख जमाबंदिया एवं नक्शो की प्रतियां एवं ग्राम पंचायत, इटन्दरा मेडतियान का निरापति प्रमाण–पत्र

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) रानी

—क्रमशः पेज— 2 पर

प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थीगण का प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तहसीलदार, रानी को प्रार्थना—पत्र की प्रति मय तहरीर भेजकर मौका जांच हेतु लिखा गया।

तहसीलदार,रानी द्वारा अपने कार्यालय के पत्र कमांक / राजस्व / 1884 दिनांक— 02 / 12 / 2021 के जरिये प्रार्थना—पत्र के संबंध मे मौजा ईटन्दरा मेडतियान के खसरा नम्बर— 186 / 11 मे से ग्राम ओडवाडिया के खसरा नम्बर— 23, 23 / 4 मे पाईप लाईन डालने के संबंध मे निरीक्षक भू.अ. खौड से जांच रिपोर्ट मय मौका रिपोर्ट व मौका फर्द ली जाकर इस न्यायालय को प्रेषित की गई, जिसके अनुसार—1—यह है कि मौजा ईटन्दरा मेडतियान के ख0नं0— 186 / 11 रकबा— 0.2634 मे कुआ स्थित है। उक्त कुएं मे वर्तमान मे सिंचाई हेतु पर्याप्त पानी उपलब्ध है। 2—यह है कि प्रार्थी उपरोक्त कुएं मे से स्वयं की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम ओडवाडिया के ख0नं0— 23, 23 / 3, 23 / 4 में सिंचाई हेतु पाईप लाईन डालना चाहता है।3— यह है कि उक्त खसरान की भूमि मे पूर्व मे पाईप लाईन डाली हुई नही है एवं सिंचाई का अन्य कोई वैकल्पिक स्त्रोत नही होने से सिंचाई हेतु पाईप लाईन डालना आवश्यक है। 4— यह है कि उपरोक्त ख.न. मे पाईप लाईन ग्राम ईटन्दरा मेडतियान के ख0नं0— 307 किस्म गै.मु. रास्ता, ख.न. 217 किस्म गै.मु. रास्ता, ख.नं. 163 किस्म गै.मु.गौचर मे से डालना सुगम है, अन्य कोई विकल्प नही है, इस संसबंध मे ग्राम पंचायत ईटन्दरा मेडतियान व अन्य किसी को कोई आपत्ति नही है। 5—यह है कि डाली जाने वाली पाईप लाईन की लम्बा 2301 मीटर है, जिसमे से लम्बाई 2301 मीटर गुणा चौडाई 0.60 मीटर कुल 1381 वर्गमीटर रकबा प्रभवित होता है। 6— सिंचाई हेतु डाली जाने वाली / प्रस्तावित पाईप लाईन सलंग्न मौका फर्द मे वर्णित नजरी नक्शे मे बिन्दु ए से डी तक लाल स्याही से दर्शायी हुई है।अतः निरीक्षक भू.अ. खौड द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र मे मौका फर्द की प्रति श्रीमान की सेवा मे अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है। तहसीदार, रानी द्वारा इसके साथ सलंग्न कर आर.आई. खौड की मौका रिर्पोट एवं निर्धारित प्रपत्र मे मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के पटवारी हल्का एवं भू.अ. निरीक्षक वतृ— खौड की इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई, जो शामिल पत्रावली की गई।

वहस वकील प्रार्थी सुनी गई एवं पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख जमाबंदियां एवं तहसीलदार, रानी के पत्र कमांक / राजस्व / 1884 दिनांक— 02 / 12 / 2021 एवं उसके साथ प्रेषित भू.अ. निरीक्षक, खौड की जांच रिर्पोट एवं मौका रिर्पोट मय नजरी नक्शा एवं मौका फर्द का

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी

अध्ययन एवं अवलोकन ध्यानपूर्वक किया गया, जिसमे पाया गया कि प्रार्थी की कृषि भूमि ग्राम ईटन्दरा मेडतियान के खसरा नम्बर– 186/11 रकबा– 0.2634 मे कुआ स्थित है, जिस पर सिंचाई हेतु विद्युत पम्पसेट लगा हुआ है एवं उपरोक्त कुए मे वर्तमान मे सिंचाई हेतू पर्याप्त मात्रा मे पानी उपलब्ध है। प्रार्थी उपरोक्त कुएं से स्वयं की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम ओडवाडिया के खसरा नं0– 23, 23/3 व 23/4 में सिचाई हेतु भूमिगत पाईप लाईनबिछाना चाहता है। उपरोक्त ख0नं0 की भूमि की सिंचाई हेतू पूर्व मे पाईप लाईन डाली हुई नही है एवं सिंचाई का अन्य कोई वैकल्पिक स्त्रोत नही होने से सिंचाई हेतू पाईप लाईन डालना आवश्यक है। उपरोक्त ख.न. मे पाईप लाईन ग्राम ईटन्दरा मेडतियान के ख.नं. 307 किस्म गै.मु. रास्ता, ख.नं. 217 किस्म गै.मु.रास्ता, ख.नं. 163 किस्म गै.मु. गौचर मे से डालना सुगम है अन्य कोई विकल्प नही है। इस संबंध मे ग्राम पंचायत ईटन्दरा मेडतियान व अन्य किसी को कोई आपत्ति नही है। प्रस्तावित पाईप लाईन कुल लम्बाई मे 2301 मी. है जिससे लम्बाई 2301 मीटर बाई चौ. 0.60 मीटर = बराबर– 1381 वर्गमीटर अर्थात 0.1381 हैक्टेयर रकबा प्रभावित होता है। भूमि की सतह से 3 मीटर नीचे पाईप लाईन डालने हेतु नियमानुसार स्वीकृति जारी करने की अनुशंषा के साथ मौका एवं जांच रिर्पोट आर.आई. खौड की प्रस्तुत हुई है।उपरोक्त विवेचन मे मेरी विनम्र राय मे प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम ईटन्दरा मेडतियान के खसरा नम्बर– 186/11 रकबा– 0.2634 मे स्थित प्रार्थी के स्वयं के बेरा से प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम ओडवाडिया के खसरा नं0– 23, 23/3 व 23/4 की सिचाई के प्रयोजनार्थ भूमि धारक राज्य सरकार की भूमि ग्राम ईटन्दरा मेडतियान के खसरा नम्बर– 307 किस्म गै.मु. रास्ता, खसरा नम्बर– 217 किस्म गै.मु. रास्ता, खसरा नम्बर– 163 किस्म गै. मु. गौचर मे से होकर भूमिगत प्रस्तावित पाईप लाईन बिछाना चाहता है, जिसकी प्रार्थी को अपनी जोत की सिंचाई हेतू इसकी आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता प्रतीत होती है एवं इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक साधन नही होना प्रतीत होता है अतः उपरोक्त विवेचन मे मेरी विनम्र राय मे प्रार्थी द्वारा चाहे अनुसार राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के अध्याय–12 अधिनियम की धारा– 251–क के उपबंधो को प्रभावी करने के लिए नियम 70के उपनियम (1) (i i)–(ख) अनुसार प्रभावित प्रस्तावित भूमि क्षेत्रफल– 0.1381 हैक्टेयर की डीएलसी की वर्तमान मे निर्धारित व प्रभावी दर की 10 प्रतिशत प्रतीकर राशि मेरे द्वारा अवधारित की जाकर प्रार्थी द्वारा चाहे गये अनुसार तहसीलदार, रानी द्वारा प्रेषित पत्रावली मे उपलब्ध भू0अ0 निरीक्षक,

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी

--क्रमशः पेज-4 पर

खौड की जांच रिपोंट एवं मौका रिपोंटव मौका फर्द अनुसार भूमिगत पाईपलाईन बिछाने का अधिकार मंजूर किया जाना न्यायोचित मानता हूँ।

-: आदेश :-

परिणाम स्वरूप प्रार्थी का यह आवेदन अन्तर्गत धारा- 251-क (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा सरहद ग्राम-ईटन्दरा मेडतियान मे स्थित प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि जोत खसरा नम्बर- 186/11 रकबा- 0.2634 मे स्थित प्रार्थी के स्वयं के बेरा से प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम ओडवाडिया के खसरा नं0- 23, 23/3 व 23/4 की सिचाई के प्रयोजनार्थ ग्राम ओडवाडिया मे स्थित प्रार्थी की खातेदारी भूमि भूमि खसरानं0- 23, 23/3, 23/4 तक भूमि धारक राज्य सरकार की भूमि ग्राम ईटन्दरा मेडतियान के खसरा नम्बर- 307 किस्म गै.मु. रास्ता, खसरा नम्बर- 217 किस्म गै.मु. रास्ता, खसरा नम्बर- 163 किस्म गै. मु. गौचर मे से होकर कुल लम्बाई मे 2301 मीटर एवं चौडाई मे 0.60 मीटर = बराबर- 1381 वर्गमीटर अर्थात 0.1381 हैक्टेयर पर तहसीलदार, रानी द्वारा प्रेषित पत्रावली मे उपलब्ध भू0अ0 निरीक्षक, खौड की जांच रिपोंट एवं मौका रिपोंट व मौका फर्द मे बतलाये अनुसार मार्क- ए. से बी. व बी. से सी. व सी. से डी. तक बरंग लाल रेखा डोट-टोट से दर्शित अनुसार भूमि तल सतह से 3 तीन फीट नीचे भूमिगत प्रस्तावित पाईप लाईन बिछाने का प्रार्थी का अधिकार राजस्थान काश्तकारी(सरकारी) नियम 1955 के अध्याय 12 अधिनियम कि धारा 251क के उपबंधो को प्रभावी करने के लिए नियम 70 के उक्त नियम(1)(II) -(ख) के अनुसार प्रस्तावित/प्रभावित भूमि रकबा- 0.1381 हैक्टेयर की वर्तमान डीएलसी की निर्धारित व प्रभावित दर की 10 प्रतिशत अवधारित प्रतिकर राशि प्रार्थी द्वारा राज्य कोष मे जमा कराने पर मंजूर एवं अनुज्ञात किया जाता है, जिस अनुरूप प्रार्थी राज्य कोष मे प्रतिकर राशि जमा करावे एवं प्रार्थी द्वारा उक्त भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के बाद भूमि को पुनः पूर्ववत प्रार्थी द्वारा समतल की जावेगी।

08/03/22

सहायक कलेक्टर एवम्
उपखण्ड अधिकारी, रानी

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) रानी

आदेश आज दिनांक- 08/03/2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवम्
उपखण्ड अधिकारी, रानी

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) रानी